

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 130/2023

GCMS No. : 2023/270

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली	श्री गौतम पुत्र सुखदेव जाति खारवाल निवासी भटवाडा सुभाष नगर मकान नम्बर 79 पाली मैसर्स गौतम डेयरी नाडी मोहल्ला पाली	
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51		

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थी उपस्थित


:- निर्णय :-

दिनांक : 11-1-2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 13.03.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी मैसर्स गौतम डेयरी नाडी मोहल्ला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम गौतम बताया एवं स्वयं को फर्म(डेयरी) का मालिक होना बताया। डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया कि डेयरी में रखी एक स्टील की टंकी में लगभग 20-25 किलो घी आमजन को बेचने के लिए रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर सरकारी जांच हेतु घी का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजूद नहीं होने से साथ आये आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि घी का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 800 ग्राम घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 320/-रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी को चार प्लास्टिक चार बराबर भागो में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1709 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर-1709 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

रिपोर्ट संख्या एलएस/566/एक्ट/2023/610 दिनांक 27.03.2023 के अनुसार unsafe पाया गया, जिस पर अप्रार्थी ने घी के नमूने की द्वितीय जांच हेतु रेफरेल लेब मैसुर भेजने के लिए आवेदन किया। मैसुर रेफरेल लेब कि जांच रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी का नमूना क्रमांक आर-1709 Sub standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standards घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।


अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है। अप्रार्थी दुध विक्रेता से दुध खरीद कर डेयरी पर ही घी बनाने का काम करता है उसमें किसी प्रकार कि मिलावट नहीं की जाती है। पशुओं को हरे घास की कमी के कारण सुखा चारा खिलाया जाता है। इस कारण घी में फैट की मात्रा कम हो जाती है जो मानक पर पूर्णरूप से खरा नहीं उतरता है। मेरे डेयरी से लिये गये घी व अधिनियम के मानको में मामूली अंतर आया है। यह घी स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक नहीं है। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।


प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.03.2023 को अप्रार्थी की डेयरी से घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1709 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की डेयरी से वास्ते जांच लिये गये घी का नमूना कोड संख्या आर-1709 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की डेयरी से लिया गया घी का नमूना अनसेफ पाया गया जिसकी पुनः जांच रेफरेल लेब मैसुर से करवाने पर नमूना घी अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) घी का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25000/- अक्षरे पच्चीस हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 11/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली


(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली